कार्यवाही विवरण

मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संशोधित कनफिगुरेशन क्षमता–7.00 मिलियन टन/वर्ष आधुनिकीकरण सह विस्तारित परियोजना एवं केप्टीव पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संशोधित कनफिगुरेशन क्षमता–7.00 मिलियन टन/वर्ष आधुनिकीकरण सह विस्तारित परियोजना एवं केप्टीव पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 05.05.2018, नई दुनिया, रायपुर दिनांक 05.05.2018 एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली दिनांक 05.05.2018 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 08 जून 2018 दिन शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में नेहरू सांस्कृतिक भवन, सेक्टर–1, भिलाई नगर, जिला–दुर्ग में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी. जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय, दुर्ग, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग, नगर पालिक निगम, दुर्ग, जिला–दुर्ग, नगर पालिक निगम, चरोदा–भिलाई 03, जिला–दुर्ग, नगर पालिका परिषद, जामुल, जिला–दुर्ग, नगर पंचायत, उतई, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पहंडोर, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–महकाकला, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–महकाखुर्द, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–डुमरडीह, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पतोरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–धौराभाठा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पाउवारा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–सेलूद, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–औंधी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–खपरी (कुटेला), जिला–दुर्ग, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19 नया रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई हैं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से श्री श्रीकांत दीक्षित, विधिक साक्षरता प्रभारी, ग्राम व पो0 सोमनी, जिला–राजनांदगांव एवं श्री सी.वी. भगवंत राव, एम.आई.जी.–2/39, हुडको, भिलाई से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 08 जून 2018 दिन शुक्रवार को प्रातः 11:10 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में नेहरू सांस्कृतिक भवन, सेक्टर–1, भिलाई नगर, जिला–दुर्ग में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री संजय अग्रवाल, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा प्रातः 11:10 बजे दिन शुक्रवार को लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत अजय चन्द मालू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई, तत्पश्चात् उद्योग के प्रतिनिधि श्री आर.जी. गुप्ता, डीजीएम, पर्यावरण एवं डॉ0 शैलेन्द्र कुमार सिंग, उप महाप्रबंधक (पर्यावरण सलाहकार), कन्सल्टेन्ट मेकॉन लिमिटेड, रांची द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री खेमलाल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत सेलूद जिला–दुर्ग।**

- भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विकास कार्य किये गये हैं। पर्यावरण संबंधी एवं विकास कार्य भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कराया जा रहा है। संयंत्र द्वारा लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाये। सिंचाई एवं पीने का पानी की व्यवस्था किया जाये। सेलूद में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाये। गांव में जो तालाब है उसका सौंर्दयीकरण किया जाये। परिधि गांव के जनप्रतिधि को साथ लेकर परियोजना का विकास किया जाये।

2. **श्री अरविन्द कुमार पाण्डे, पर्यावरण संरक्षण संगठन, भिलाई, जिला–दुर्ग।**

- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए और पेड़ पौधे लगाया जाये। सोलर सिस्टम एवं एरिगेशन सिस्टम प्रदाय किया जाये जिससे हमारे द्वारा पर्यावरण की दिशा में शीघ्र कार्यवाही किया जा सकता है। हमारे द्वारा पेड़ों का संरक्षण किया जा रहा है। इस मानसून सत्र में 4000 पौधे लगाये जा रहे हैं। प्रदूषण कम होने की दिशा में हमारे द्वारा काम किया जा रहा है।

3. **श्री बालूराम वर्मा, भिलाई, जिला–दुर्ग।**

- मै पर्यावरण की दिशा में 20 से 25 वर्षो से लगा हूं। अगर आपके द्वारा सहयोग दिया जायेगा तो मेरे संस्था द्वारा लगभग 50 हजार पौधों का रोपण किया जाकर संरक्षण किया जायेगा। सिंचाई के लिये ट्रेक्टर प्रदाय किया जाये जिससे मेरे द्वारा पौधों का संरक्षण किया जायेगा। पानी की उपलब्धता नही होने के कारण पौधे लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अतः बीएसपी से निवेदन है कि सहयोग प्रदान करें।

4. **श्री गजेन्द्र मढरिया, सरपंच पहंडोर, जिला–दुर्ग।**

➢ भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विभिन्न कार्यो के लिये विकास कार्य किया गया है। सेक्टर–9 के चिकित्सा संस्थान से हमारे गांव वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाये। पूरे गांव में नल जल योजना के तहत हर घर में पाईप लाईन बिछाई जाये। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा तालाब का गहरीकरण किया गया है। जिससे जल संरक्षण किया जा सके। लोक सुनवाई का कार्यक्रम गांव में होता रहे।

5. **श्री नेमचंद निर्मलकर, ग्राम पंचायत, महकाखुर्द, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव का सड़क जर्जर है, इसका संधारण आज तक नही किया गया है। एक बार निर्माण कर लिया जाता है, उसको देखने वाला कोई नही रहता है। हमारे गांव को बीएसपी द्वारा गोद नही लिया गया है। नल जल योजना मेरे गांव में प्रारंभ नही हुआ है। मेरे गांव के लिये नल जल योजना प्रदान किया जाये। टंकी का निर्माण किया जाये। गांव में आय का स्त्रोत कम है। हर ग्राम में रोजगार योजना चल रही है, हमारे ग्राम में यह योजना नही है। वृक्षारोपण किया जाये। स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाये। साफ पीने का जल प्रदान किया जाये। सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक शौचालय प्रदान किया जाये। शिक्षा की व्यवस्था किया जाये। ग्राम पंचायत भवन की आवश्यकता है। तालाब का गहरीकरण किया जाये।

6. **डॉ0 फूल सिंह यादव, पंचायत प्रतिनिधि, खपरी, जिला–दुर्ग।**

➢ ग्राम खपरी, कुटेलाभाठा में सीवेज का पानी बहता था, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या थी। करीब रहते हुए भी विकास से हम लोग काफी दूर रहे हैं। बीएसपी से आशा करते हैं कि मूलभूत सुविधा की ओर ध्यान दिया जाये। तालाब में सौंदर्यीकरण कर वृक्षारोपण किया जाये। सामुदायिक भवन में बाउण्ड्रीवाल बनाया जाये। प्रतिक्षालय बनाया जाये। मुख्य मार्ग खपरी का संधारण किया जाये। मुख्य मार्ग के आसपास वृक्षारोपण किया जाये। जिससे भू माफियों द्वारा अतिक्रमण न किया जा सके। पंप लगाने के लिये निवेदन करता हूं। शासकीय प्राथमिक शाला में दो कमरों का निर्माण कराया जाये।

7. **श्री अजयकांत भट्ट, एनजीओ, जिला–दुर्ग।**

➢ भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से हमें अवार्ड मिला है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने हमें बहुत अच्छी बस प्रदान की है और हमेशा सहयोग प्रदान किया जाता है। सेक्टर–4 व 6 में अत्यधिक वृक्षारोपण की आवश्यकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और अच्छी व्यवस्था की जाये। भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास जो स्कूल हैं उनमें अच्छे गार्डन का निर्माण किया जाये एवं स्कूल के आसपास अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाये।

8. **श्री हेमशंकर यादव, कुटेलाभाठा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं भिलाई इस्पात संयंत्र को धन्यवाद देता हूं कि मेरे गांव के आसपास जो वृक्षारोपण किया गया है वह सराहनीय है। मरोदा टैंक के आसपास 10 हजार पौधे रोपे गये थे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन पौधों को काट दिया गया। हमारे तालाब में पूर्व में काला काला अपशिष्ठ दिखता था, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इसका उद्घार कर उसे अच्छा बना दिया गया। हमारे द्वारा 50 हजार सागोन के वृक्षों को बचाया गया।

हमारे द्वारा नहर के किनारे एवं खाली भूमि में उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम सभी संकल्प ले कि अपने घर के सामने कम से कम दो वृक्ष लगाकर उसका संरक्षण करें। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जिन जिन गांवों को गोद लिया गया है वहां पर सघन वृक्षारोपण कर हरियाली बनाई जाये। मरोदा टैंक के आसपास सघन वृक्षारोपण कर पर्यटन स्थल बनाया जाये। वृक्षारोपण के कटाई को रोका जाये। इसमें प्रशासन हमारी मदद करे। अवैध बस्ती बनने के कारण मरोदा टैंक का पानी दूषित हो रहा है। उसे हटाया जाये।

9. **श्री यशवंत कुमार ठाकुर, डुमरडीह, जिला–दुर्ग।**

- वार्ड नंबर–16, 17, 18, 19 जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आती है, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कोई कार्य नही कराया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बहुत विकास कार्य कराया गया है। पानी टंकी पानी पाईप लाईन और बिछाई जाये।

10. **श्रीमती निर्मला हिरवानी, पाउवारा, सरपंच, जिला–दुर्ग।**

- भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मुक्तिधाम, सड़क निर्माण और भी विकास कार्य किया गया है। मेरी मांग है– महिलाओं की सुरक्षा प्रदान किया जाये, वृक्षारोपण किया जाये, शादी भवन का निर्माण किया जाये, पानी कमी की समस्या को दूर करने हेतु एक टंकी का निर्माण किया जाये। स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की जाये।

11. **श्री छतलाल, सरपंच प्रतिनिधि, धौराभाठा, जिला–दुर्ग।**

- हमारे गांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल में भवन का निर्माण किया जाये। शौचालय का निर्माण किया जाये। गांव में सीमेण्टीकरण नही हुआ है। हमारे गांव में विकास हुआ ही नही है। नल जल योजना के पास कचरा फेंका जा रहा है उसको देखने वाला कोई नही है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन कोई ध्यान नही दे रहा है। कुआं में गन्दगी बहुत है। उसका सफाई किया जाये। हमारा गांव विकास कार्य में बहुत पिछड़ा है।

12. **श्री टीकाराम देवांगन, उप सरपंच, पतोरा, जिला–दुर्ग।**

- भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से बहुत सारे विकास कार्य किया गया है। मेन रोड से पतोरा तक सी.सी. रोड का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। हमारे ग्राम पंचायत के लोगों को इस्पात संयंत्र में भ्रमण करने की अनुमति दी जाये। हाई स्कूल का निर्माण किया गया है उसके चारो बाउण्ड्रीवाल बनाया जाये। शासकीय प्राथमिक शाला में शौचालय का निर्माण किया जाये। तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाये। मुक्तिधाम में बैठक की व्यवस्था की जाये। नया पानी टंकी बनाया जाये। हाई स्कूल में लाईट व्यवस्था की जाये। हर कार्य योजना में पतोरा पंचायत को प्राथमिकता दी जाये।

13. **श्रीमती दीपमाला, सरपंच, महकाकला जिला–दुर्ग।**

- बीएसपी की ओर से बहुत सारे विकास कार्य किया गया है। पानी की टंकी व्यवस्था होनी चाहिये। पूरे गाव में पाईप लाईन की व्यवस्था की जाये। सी.सी. रोड बनाया जाये, श्मशान घाट का समतलीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाये।

14. **श्री सी.वी. भगवंत राव,** एम.आई.जी.–2/39, हुडको, भिलाई **जिला–दुर्ग।**

- बीएसपी प्रबंधन जो पेड़ लगाये हैं वे पूरे नही लगाये गये हैं। इसका ऑडिट कराया जाये। प्रदूषण लेवल 2 से 3 प्रतिशत अधिक आया है।

15. **श्री रूपचंद साहू, औंधी, जिला–दुर्ग।**

- बीएसपी प्रबंधन द्वारा श्मशान घाट में वृक्षारोपण कार्य कराया जाये। नल जल योजना का लाभ दिया जाये।

लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय द्वारा उठाये गये मुद्दों, सुझाव, विचार एवं आपत्तियों के परिपेक्ष्य में उद्योग का पक्ष रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा उद्योग प्रबंधन को निर्देशित किया गया। उद्योग के प्रतिनिधि श्री ए0के0 माथुर, ई.डी. प्रोजेक्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार व आपत्तियों का उद्योग प्रतिनिधि की ओर अपना वक्तव्य/पक्ष/समाधान एवं प्रस्ताव रखा गया जो कि निम्नानुसार है :–

- बीएसपी द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है, वह आगे भी जारी रहेगा।
- सड़क निर्माण, वृक्षारोपण किया जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्वास्थ्य सुविधा आदि को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा। महिला सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा।
- मेकॉन संस्था अधिकृत संस्था है, उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें पर्यावरण के सभी मानक के अनुरूप कार्य कराया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 8 जून 2018 दिन शुक्रवार को लिखित में **17** आवेदन मौके पर प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1.	श्री खेमलाल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत सेलूद, जिला–दुर्ग।	ग्राम सेलूद के विकास हेतु मांग पत्र।
2.	श्री दिनेश कुमार ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत खपरी (कु0) जिला–दुर्ग।	ग्राम पंचायत भवन, बाण्ड्रीवाल एवं वृक्षारोपण एवं दो बोर खनन कर सौर उर्जा द्वारा संचालित पंप लगाने बाबत्। (संलग्नक–08 ग्राम पंचायत प्रस्ताव)
3.	श्री दिनेश कुमार ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत खपरी (कु0) जिला–दुर्ग।	शासकीय घास भूमि पर वृक्षारोपण करने बाबत्।
4.	श्री यशवंत कुमार ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत डुमरडीह, जिला–दुर्ग	गली सीमेण्टीकरण कार्य स्वीकृत करने बाबत्।
5.	श्री यशवंत कुमार ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत डुमरडीह,	पाईप लाईन विस्तार करने बाबत्।

	जिला–दुर्ग।	
6.	श्री यशवंत कुमार ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत डुमरडीह, जिला–दुर्ग	ग्राम पंचायत डुमरडीह के अंतर्गत वार्ड नंबर–15, 16, 17, 18, बस स्टैण्ड बाबत्।
7.	श्रीमती निर्मला हिरवानी, सरपंच ग्राम पंचायत पाउवारा जिला–दुर्ग।	ग्राम पंचायत पाउवारा में निर्माण कार्य एवं विकास कार्य स्वीकृत करने बाबत्। (संलग्नक–08 आवेदन एवं 01 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव)
8.	श्री अजयकांत भट्ट, एक्स डायरेक्टर, मैनेजर, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला–दुर्ग।	मुस्कान विद्यालय में गार्डन निर्माण, बीएसपी द्वारा प्रदत्त मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्लांट में भ्रमण करवाने बाबत्।
9.	श्रीमती तारणी वर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत पतोरा, जिला–दुर्ग।	ग्राम पतोरा में विकास कार्यो की मांग। (संलग्नक–01 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव)
10.	श्रीमती कुमारी कोड़प्पा, सरपंच, ग्राम पंचायत धौराभाठा, जिला–दुर्ग।	ग्राम धौराभाठा के तालाबों में निर्मलाघाट निर्माण एवं तालाब सौंदर्यीकरण कराने बाबत्। (संलग्नक–06 आवेदन)
11.	श्री दीपमाला कोसरे, सरपंच ग्राम पंचायत महकाकला, विकासखण्ड, जिला–दुर्ग।	ग्राम पंचायत महकाकला में सामुदायिक विकास कराने विषयक। (संलग्नक–01 ग्राम पंचायत प्रस्ताव)
12.	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, भिलाई जिला–दुर्ग।	भिलाई टाउनशिप में पर्यावरण संरक्षण को और अधिक करने तथा पर्यावरण उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु।
13.	श्री लीलम चंद्राकर, सरपंच, ग्राम पंचायत पाटन, जिला–दुर्ग।	निर्माण/विकास कार्य कराये जाने बाबत्। (संलग्नक–03 ग्राम पंचायत प्रस्ताव)
14.	श्री सी.वी. भगवंत राव, हुडको, भिलाई जिला–दुर्ग।	Audit of Green Belt - 2074 Hac. of sale Bhilai Steel Plant.
15.	श्री गजेन्द्र मढ़रिया, सरपंच, ग्राम पंचायत पहंडोर, विकास खण्ड, पाटन, जिला–दुर्ग।	कार्य स्वीकृत करने बाबत्। (संलग्नक–05 ग्राम पंचायत प्रस्ताव)
16.	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, भिलाई जिला–दुर्ग।	पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये स्थायी संस्थानों की आवश्यकता।
17.	श्रीमती संगीता निर्मलकर, सरपंच, ग्राम पंचायत महकाखुर्द जिला–दुर्ग।	कार्य स्वीकृति हेतु आवेदन।

लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय द्वारा उठाये गये मुद्दों, सुझाव, विचार एवं आपत्तियों को अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा संक्षिप्त में पढ़कर सुनाया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित

जन समुदाय में से कुल **154** लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर **1.30** बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(ए0सी0 मालू)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(संजय अग्रवाल)
अति0 जिला दण्डाधिकारी
जिला–दुर्ग